

निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्र संख्या- ८३५८ /बा०वि०परि०/स्था-३/१८-१९ दिनांक ०९ अप्रैल, २०१८

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी
प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

विषय वेतन समिति (२००८) के पत्र दिनांक ३० सितम्बर, २०११ में मानदेय/नियत वेतन/संविदा कर्मचारियों के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार कार्यरत संविदा कर्मियों को आकस्मिक अवकाश एवं प्रसूति अवकाश स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में

कृपया उपर्युक्त विषयक वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-२ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-वे०आ०-२-५६२/दस-५४(एम०)२००८टी०सी० दिनांक ३०.०८.२०१३ का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके प्रस्तर-५ में संविदा/मानदेय/नियत वेतन के कर्मचारियों को वर्ष में २० दिन का आकस्मिक अवकाश दिये जाने तथा महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश राजकीय कर्मचारियों की भौति दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-२ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-वे०आ०-२-५६२/दस-५४(एम०)२००८टी०सी० दिनांक ३०.०८.२०१३ में उल्लिखित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करे।

(राजेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक।

पृष्ठांकन संख्या- ८३५८ /बा०वि०परि०/स्था-३/१८-१९ तददिनांक :-

प्रतिलिपि प्रान्तीय अध्यक्ष/महामंत्री, बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश को उनके पत्र दिनांक २०.११.२०१७ के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(राजेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक।